फर्द अहकाम

हीरालाल बनाम मैसर्स [illegible] बिल्डकोर

लय

6/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वास्ते बहस अपील ~~[illegible]~~ हेतु समय चाहा। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें वरना अपील निर्णय [illegible] 22/10/24 को पेश हो। उप–खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
22/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु दि० 5/11/24 को पेश हो। उप–खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
5/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली [illegible] तहसील [illegible] वापस [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:46:06 IST
Reason: SelfAttested

्रायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

ठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
द संख्या : 6/2014
र्णय दिनांक : 04.11.2024

उनवान

. छीतरमल उम्र 56 वर्ष पुत्र लाद्या उर्फ लादू जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील सागानेर जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. मैसर्स चौहान बिल्डकोन पंजीकृत कार्यालय 14, कृष्णापुरी नाहरी का नाका, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. अम्बिका प्रसाद पुत्र किशनलाल जाति वैश्य अग्रवाल निवासी नई अनाज नंडी जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
3. सरपंच महोदय ग्राम पंचायत मोहनपुरा पंचायत समिति व तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 र.एल.आर.एक्ट विरूद्ध नामांतकरण संख्या 293 दिनांक 5.7.14 ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

निर्णय दिनांकः 04.11.2024

अपीलान्ट ने अपील अंतर्गत धारा 75 र.एल.आर.एक्ट विरूद्ध नामांतकरण संख्या 293 दिनांक 5.7.14 ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की पेश की जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि अपील नामातंकरण वादग्रस्त भूमि मुतालिक अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के न्यायालय में दिनांक 5.3.13 को अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिये अम्बिका प्रसाद पुत्र किशनलाल के विरुद्ध इस्तकरार हक न पाबंदी का दावा पेश कर रखा है जो वर्तमान स्वरूप मे न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमे आगामी पेशी 1.8.2014 नीयत थी फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 को रेस्पोडेंट संख्या 2 ने प्रकरण की जानकारी होते हुये भी अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि अलावा दीगर खसरा नंबरान के खसरा नंबर [illegible]9, 610/1569 कित्ता 3 कुल रकबा 1.56 हैक्टेयर वाकै ग्राम मोहनपुरा [illegible] जयपुर का विक्रय दिनांक 18.6.2014 को कर दिया जिसके फल[illegible]ांट को कोई सूचना न दी जाकर प्रश्नाधीन नामातंकरण दिनांक 5.7.14 को अधिनस्थ ग्राम पंचायत से तस्दीक करा लिया जो

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:46:06 IST
Reason: SelfAttested

नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रश्नागत नामांतकरण तस्दीकी से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर लगभग 50 वर्षो से काबिज काश्त अपीलांट को सुनवाई का नोटिस न देकर जवाब देही का अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सुनवाई के सिंद्धांत के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट संख्या 2 विक्रेता को उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के न्यायालय गे वादग्रस्त भूमि के मुतालिक वाद विचारण की जानकारी होने व कार्यवाही में भाग लेने के बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 2 ने उक्त खसरा नम्बरान का बेचान करने में कानूनी प्रक्रिया का मजाक बनाया है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामातंकरण तस्दीक करने मे गलती की है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत नामांतकरण तस्दीक से अपीलांट को बिना सूचना के प्रश्नगत नामातंकरण तस्दीक करने मे गलती की है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रश्नागत नागांतकरण तस्दीक से पूर्व नामांतकरण तस्दीक प्रकिया के नियमों की पालना नही किया इस लिहाज से प्रश्नाधीन नामांतकरण निरस्तनीय हैं। प्रश्नागत नामातकरण कतैय इलिगल एंड अगेनस्ट प्रिंसीपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि बमंजूरे अपील अपीलांट नामांतकरण संख्या 293 दिनांक 5.7.14 ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित। तहत न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से जवाब पेश नही।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली व तहत न्यायालय रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुॅचे है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बरान 606, 609, 610/1569 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 वाके ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2024 को उप पंजीयक प्रथम सांगानेर में पंजीबद्ध करवाया। विक्रय पत्र में कब्जा बाबत् स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त आराजी पर क्रेता को कब्जा सम्भलवाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 293 दिनांक 05.07.2014 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:46:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (...)

क किये जाने में कोई गलती नही की गई है। अतः आदेश दिये जाते है कि अपील
ान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:46:06 IST
Reason: SelfAttested